74

न्यायालय श्रीमान् म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

III/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3587

रावेन्द्र कोरी उर्फ ननकू कोरी तनय स्व0 छोटेलाल कोरी निवासी मोहल्ला गुढ चौराहा कोरियान मोहल्ला वार्ड क्रमांक-28 तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) ------------आवेदक

बनाम्

पार्वती दाहिया पत्नी स्व0 बैजनाथ दाहिया निवासी मोहल्ला गुढ चौराहा कोरियान मोहल्ला वार्ड क्रमांक-28 तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

------------अनावेदिका

श्री मुकेश भार्गव अधि० द्वारा आज दि. 28.9.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 28.9.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
28.9.17 एडवोकेट
ग्वालियर
CF-4-10-17

निगरानी बिरुद्ध कार्यवाही एवं आदेश दिनांक 13/09/2017 बाबत् प्रकरण क्रमांक09/ए74/2016-17 आदेश दिनांक 13/09/2017 नजूल तहसीलदार रीवा

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता सन् 1959ई0।

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि अधीनस्थ नजूल तहसीलदार रीवा जिला रीवा की कार्यवाही व आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत है।

रावेन्द्र कोरी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / रीवा / भू0राज0 / 2017 / 3587

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-11-2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि नजूल तहसीलदार ने प्रकरण में स्थगन आदेश प्रदान किया गया था जिसके बावजूद भी निर्माण कार्य किया जाना पाय। इसलिए नजूल तहसीलदार ने थाना सिटी कोतवाली को निर्माण कार्य रोके जाने हेतु पत्र जारी करने के आदेश दिये हैं। नजूल तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश में कोई अवैधानिकत अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	